

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 69/2023

GCMS No-2023/122

प्रार्थी:-

बनाम

अप्रार्थीगण :-

भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी पाली

1. श्री भरत भाटी पुत्र श्री भगवानदास
भाटी उम्र 36 वर्ष जाति भाटी माली
निवासी रामनगर पाली मैसर्स फेनजी
मेवा रामनगर पाली (फर्म मालिक)
2. श्रीमती आरती पंवार पत्नी श्री कृष्ण
कुमार निवासी स्टेशन के सामने
राणावास मैसर्स निम्बेश्वर डाई शीड्स
रिको पाली जे-212, नया गांव
इण्डस्ट्रीयल एरिया नया गांव पाली (फर्म
मालिक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :-

दिनांक:- 21-6-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 22.2.2023 को प्रार्थी निरीक्षण करते हुए मैसर्स फैनजी मेवा रामनगर पाली पर पहुंचा तथा अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। दुकान पर अप्रार्थी भरत भाटी उपस्थित मिला व अपने आप को मैसर्स मैसर्स फैनजी मेवा रामनगर पाली का मालिक होना बताया। फर्म मालिक व गवाहों की उपस्थिति में मैंने दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में मिर्ची पाउडर लाल (ब्रांड रानी) के 500 ग्राम के 20-30 पैकेट रखे हुए थे जिसे अप्रार्थी ने आमजन को विक्रय करने हेतु रखा होना बताया। मिर्ची पाउडर में मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह की उपस्थिति में अप्रार्थी को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच एफएसएस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ। प्रपत्र 5ए पर मेरे अप्रार्थी संख्या 1 एवं गवाह के हस्ताक्षर है। दुकान में रखे मिर्ची पाउडर लाल (ब्रांड रानी 500 ग्राम) में से 4 पैकेट जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 800/- नकद भुगतान कर रसीद प्राप्त की। रसीद पर मेरे विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है। विक्रेता एवं गवाह के सामने उक्त खरीदशुदा 4 पैकेट मिर्ची पाउडर (ब्रांड रानी 500 ग्राम) को नियमानुसार चार पैकेट पर डी ओ कोड व सीरियल नम्बर नाम पता वस्तु का नाम नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित किये। चारों नमूना के चार लेबल तैयार कर कोड व सीरियल नम्बर आर-1679 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, प्रत्येक लेबल पर अप्रार्थी (मालिक) व गवाहन एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त नमूना पैकेट



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

को मेरे स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर में वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एलएस/353/एक्ट/2023/372 दिनांक 8.3.2023 में प्रार्थी द्वारा लिया गया मिर्ची पाउडर लाल (ब्रांड रानी 500 ग्राम) के नमूने को मिथ्याछाप Mis Branded होना बताया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Mis Branded लाल मिर्ची पाउडर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने मिर्ची पाउडर लाल (ब्रांड रानी) का खरीद बिल पेश किया जिसे आधार मानकर अप्रार्थी संख्या 2 को पक्षकार बनाया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा भविष्य में पुरी तरह से सावधानी बरती जायेगी। अतः अप्रार्थी पर कम से कम शास्ति आरोपित कर प्रकरण निस्तारित करावें।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण की स्वीकारोक्ति पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.2.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से जांच हेतु मिर्ची पाउडर लाल (ब्रांड रानी 500 ग्राम) का क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-1679 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए नमूना जांच हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./353/एक्ट/2023/372 दिनांक 8.3.2023 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-1679 को (Mis Branded) मिथ्याछाप पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। चूंकि प्रकरण में अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया है तथा स्वीकारोक्ति के पश्चात किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Mis Branded मिथ्याछाप लाल मिर्ची के पाउडर (ब्रांड रानी 500 ग्राम) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 25000/- व अप्रार्थी संख्या 2 पर 25000/- कुल पचास हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(चन्द्रभाम सिंह भाटी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 21-6-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभाम सिंह भाटी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली